उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध वाद (Miscellaneous Case)वाद सं0–37 / **2024–25**

अमन लकड़ा

बनाम

संध्या डुंगडुंग एवं अन्य

25.02.25

1. आवेदक 1. श्री अमन लकड़ा पिता–नेलसन लकड़ा ग्राम–शास्त्री नगर गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा मौजा–उर्मी थाना सं0–64 खाता सं0–16 / 02 प्लॉट सख्या 832 रकबा–0.73 एकड़ में से 0.14 एकड़ खरीदगी भूमि है। गुमला बाईपास सड़क निर्माण में अधिग्रहण के पश्चात अवशेष 0.14 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।
2. प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक–1027 / विधि दिनांक–23.12.2024 द्वारा अंचल अधिकारी गुमला से वर्णित भूमि का जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में में अंचल अधिकारी गुमला के पत्रांक–928 दिनांक–08.01.2025 द्वारा समर्पित भूमि का जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत झलकु चीक बल्द सुरज चीक कौम–चीक है। प्रश्नगत भूमि का अद्यतन पंजी ii रैयत अमन लकड़ा पिता–नेलशन लकड़ा है।
3. प्रश्नगत प्लॉट सं0–832 का खतियान के अनुसार कुल रकबा–0.73 एकड़ है। जिसमें से 0.32 एकड़ भूमि का अधिग्रहण गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत हुआ है। भू–अर्जन से संबंधित दस्तावेजों की जाँच में पाया गया कि उक्त अधिग्रहित भूमि रामबहाल चीक बड़ाईक पिता स्व0–महावीर चीक बड़ाईक एवं भिन्सेंट उराँव पिता मतियस तिर्की से संबंधित है। प्रश्नगत प्लॉट सं0–832 के 0.14 एकड़ भूमि की जमाबंदी अमन लकड़ा पिता नेलशन लकड़ा एवं 0.24 एकड़ भूमि की जमाबंदी संदीप उराँव पिता स्व0 भिन्सेंट उराँव के नाम पर चल रही है। जिसमें से किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नही हुआ है।
4. प्रश्नगत भूमि चूँकि पंजी ii रैयत अमन लकड़ा की जमाबंदी से भूमि अधिग्रहण नही हुआ है।
5. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला के पत्रांक–495 / भू0अ0 गुमला दिनांक–31.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण गुमला बाईपास सड़क योजना के तहत् किया गया है। खाता सं0–16 प्लॉट सं0–832 कुल रकबा–0.73 एकड़ में से 0.32 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है एवं अधिग्रहित भूमि का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

6. आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला स्थित खाता सं0–16/2 प्लॉट सं0–832 रकबा–0.73 एकड़ भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है, जिससे आवेदक निबंधित पट्टा सं0–963/16 दिनांक–26.12.2016 को पंजी ii रैयत मतियस उराँव के पुत्र भिन्सेंट उराँव से कय किये है तथा दाखिल खारिज वाद सं0–80R27/2017–18 से दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करते हुए दखलकार चले आ रहे है।

7. आवेदक को आवश्यक काम हेतु भूमि बिक्री की आवश्यकता पड़ी तो संध्या डुंगडुंग से बिक्री की समझौता किये तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय से अनुमति वाद सं0–85/2024–25 दिनांक–27.11.2024 को अनुमति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नगत प्लॉट सं0–832 का अंशभाग कुल रकबा–0.73 एकड़ में से 0.32 एकड़ भूमि गुमला बाईपास सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है, परन्तु आवेदक का भूमि अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर की भूमि है। प्रश्नगत प्लॉट सं0–832 NGDRS पोर्टल में लॉक भूमि को बिना अनलॉक किये आवेदक द्वारा संध्या डुंगडुंग को भूमि बिक्री नही किया जा सकता है।

8. आवेदक के द्वारा NGDRS पोर्टल में लॉक भूमि को अनलॉक करने का अनुरोध किया गया है।

9. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवु भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचिबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची से वर्णित भूमि को मुक्त करने के लिए सुनवाई हेतु आवेदक को नोटिस निर्गत की गई एवं उनके दावे से संबंधित वाछिंत दस्तावेज की मांग की गई। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया है।

10. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचिबद्ध प्रतिवंधित भूमि की सूची के किसी प्लॉट को विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक–928 दिनांक–08.01.2025 एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–495/भू0अ0 दिनांक–31.12.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के

Scanned with OKEN Scanner

अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक पर NGDRS पोर्टल में सूचीबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची में से मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–16 प्लॉट सं0–832 कुल रकबा–0.73 में से 0.14 एकड़ भूमि को निम्नलिखित शर्तो के साथ मुक्त किया जाता है।

(क) आवेदक संबंधित भू–खण्ड पर अथवा भू–खण्ड के संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नही करेगें जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की किसी भी धारा अथवा झारखण्ड राज्य में प्रभावी किसी भी अधिनियम, परिनियम, नियमावली अथवा सरकारी निदेश के प्रतिकूल हो।

(ख) संबंधित भू–खण्ड पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन से पूर्व जिला अवर निबंधक गुमला संतुष्ट हो लेगें कि हस्तांतरण CNT Act. के प्रावधानों के अनुकूल हो तथा किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।

(ग) भू–खण्ड के संबंध के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करती है कि संबंधित भू–खण्ड को प्रतिबंधित सूची में रखना ही नियत संगत हो तो वैसी स्थिति में इस आदेश को संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(घ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर आदेश की समीक्षा की जा सकेगी।

(ड़) यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि आवेदक के द्वारा भू–खण्ड की प्राप्ति (खरीद/विरासत/अन्य) नियम संगत नही थी तो इस आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

जिला अवर निबंधक, गुमला को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत 0.14 एकड़ भूमि का क्रय–बिक्रय/निबंधन के उपरान्त गुमला बाईपास सड़क निर्माणयोजना के तहत् जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित 0.32 एकड़ भूमि को क्रय/बिक्रय/निबंधन को रोकने हेतु पुनः NGDRS Portal में प्रतिबंधित भूमि की सूची में सूचीबद्ध कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अंचल अधिकारी गुमला/जिला अवर निबंधक, गुमला एवं DPMU गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला।

उपायुक्त,
गुमला।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.19 16:41:29 +05:30
Location: 192.168.31.12

Scanned with OKEN Scanner